पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड एवं एक अन्य

बनाम

मेसर्स दयानंद प्रसाद सिन्हा एंड कंपनी एवं एक अन्य

2015 की दीवानी पुनरीक्षण सं. 69
[के साथ 2016 की दीवानी पुनरीक्षण सं. 215 एवं 2017
की दीवानी पुनरीक्षण सं. 26]

08 सितंबर 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री खातिम रेज़ा)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या दिनांक 23.07.2024 के आदेश, जिसमें बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार पर याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक आपित को खारिज कर दिया गया था, की समीक्षा/वापस लिया जाना चाहिए?
- क्या किसी न्यायाधिकरण द्वारा पारित मध्यस्थता निर्णय, जिसमें अंतर्निहित अधिकारिता
 का अभाव है, अमान्य है, तथा क्या यह दलील पुनरीक्षण चरण में पहली बार उठाई जा
 सकती है?
- क्या याचिकाकर्ताओं ने सीपीसी के आदेश XLVII, नियम 1 के तहत समीक्षा क्षेत्राधिकार के सीमित और सख्त दायरे के अनुसार समीक्षा के लिए एक वैध मामला बनाया है?

हेडनोट्स

माननीय न्यायमूर्ति खातिम रजा की अध्यक्षता वाली पटना उच्च न्यायालय ने 23.07.2024 के अपने पहले के आदेश की समीक्षा/वापसी की मांग करने वाली अंतरिम आवेदनों (आईए संख्या 02/2024, आईए संख्या 04/2024, और आईए संख्या 04/2024) को खारिज कर दिया।

न्यायालय ने माना कि ये आवेदन अधिकार क्षेत्र के प्रारंभिक प्रश्न को पुनः उठाने और उस पर पुनः तर्क-वितर्क करने का एक प्रयास थे, जिस पर पहले ही निर्णायक रूप से विचार किया जा चुका था और समीक्षाधीन आदेश में निर्णय दिया जा चुका था। याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया था (जैसे, ब्रह्मपुत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर) उन पर न्यायालय ने अपने दिनांक 23.07.2024 के आदेश में पहले ही विचार कर लिया था।

न्यायालय ने जेएमसी प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड और एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के सिद्धांत पर भरोसा किया कि यदि उचित स्तर पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर कोई आपित नहीं की जाती है, तो केवल इस आधार पर पुरस्कार को रद्द नहीं किया जा सकता है, खासकर जब पुरस्कार ब्रह्मपुत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर में स्पष्ट निर्णय से पहले पारित किया गया था। [कंडिका 10, 11, 12, 13] न्यायालय ने समीक्षा क्षेत्राधिकार के सीमित दायरे पर ज़ोर दिया और कहा कि इसका इस्तेमाल "छिपी हुई अपील" के तौर पर नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड के आधार पर उसे कोई त्रुटि नज़र नहीं आई, क्योंकि इस मुद्दे पर तर्क की प्रक्रिया की ज़रूरत थी और यह स्वतः स्पष्ट नहीं था। कमलेश वर्मा और परिस्थितयों में समीक्षा के आधार शामिल नहीं थे।

न्याय दृष्टान्त

बिहार राज्य एवं अन्य बनाम ब्रह्मपुत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, (2018) 17 एससीसी 444; अजीत सिंह जनुजा बनाम पंजाब राज्य, (1996) 2 एससीसी 215; हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) बनाम अजमेर वियुत वितरण निगम लिमिटेड, (2019) 17 एससीसी 82; कमलेश वर्मा बनाम. मायावती एवं अन्य, (2013) 8 एससीसी 320; जेएमसी प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 1452; एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण बनाम एलजी चौधरी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, (2018) 10 एससीसी 826; शांति कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम असम राज्य वियुत बोर्ड एवं अन्य, (2020) 2 एससीसी 677; पारसन देवी बनाम. सुमित्री देवी, (1997) 8 एससीसी 715; भारत संघ बनाम संदूर मैगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड, (2013) 8 एससीसी 337

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता अधिनियम, 2008; मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 16(2)

मुख्य शब्दों की सूची

समीक्षा क्षेत्राधिकार; अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि; मध्यस्थता निर्णय; न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार; अमान्यता; मध्यस्थता समझौता; पुनः आंदोलन; प्रारंभिक आपत्ति; आदेश की वापसी

प्रकरण से उत्पन्न

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिवीजन संख्या 69/2015 एवं सदृश मामलों में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024, जिसमें बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार पर याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक आपित को खारिज कर दिया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2015 की दीवानी पुनरीक्षण सं. 69 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, विरष्ठ अधिवक्ता; श्री गिरिजीश कुमार, अधिवक्ता विरोधी पक्ष सं. 1 के लिए : श्री लाल बाबू सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री के. पी. गुप्ता, जी. पी.-10; सुश्री दीपांजली गुप्ता, जी. पी.-10 के एसी (2016 की दीवानी पुनरीक्षण सं. 215 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री विकास कुमार, अधिवक्ता विपक्षीगण/ओं के लिए : श्री मनीष सहाय. अधिवक्ता।

(2017 की दीवानी पुनरीक्षण सं. 26 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री विकास कुमार, अधिवक्ता

विपक्षीगण/ओं के लिए : श्री मनीष सहाय, अधिवक्ता

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया:- सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 2015 की दीवानी पुनरीक्षण सं. 69

 प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड और एक अन्य शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, आचार्य शिव पूजन सहाय पथ, सैदपुर,

पटना

2. मुख्य तकनीकी सलाहकार, बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, आचार्य शिव पूजन सहाय पथ, सैदपुर, पटना याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

- मेसर्स दयानंद प्रसाद सिन्हा एंड कंपनी, पिता-श्री एच. बी. लाल, निवासी-जनता पथ, कंकडबाग रोड, थाना-कंकडबाग, जिला-पटना
- 2. संयोजक, राज्य स्तरीय अनुसूची दर निर्धारण समिति-सह-मुख्य अभियंता-सह-अतिरिक्त सचिव सड़क निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना

... ...विपक्षी/गण

के साथ

2016 की दीवानी पुनरीक्षण सं. 215

1. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बिहार राज्य की एक प्रमाणित कंपनी) अपने अध्यक्ष के माध्यम से. 7. सरदार पटेल मार्ग. पटना-800015

- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बिहार राज्य की एक प्रमाणित कंपनी) 7, सरदार पटेल मार्ग, पटना-800015
- विरष्ठ परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बिहार राज्य की एक प्रमाणित कंपनी), रोड डिवीजन, दारोगा राय पथ, पटना-800015
- उप मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बिहार राज्य की एक प्रमाणित कंपनी), 7, सरदार पटेल मार्ग, पटना-800015

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

मेसर्स आर. के. कंस्ट्रक्शन अपने मालिक श्री सुरेंद्र कुमार झा, पिता-श्री गंगाधर झा के माध्यम से, निवासी, मोहल्ला-पटेल नगर, 'सत्य निवास', थाना-शास्त्री नगर, थाना-शास्त्री नगर, जिला-पटना, पिन-800023।

			विपक्षी ⁄ गण
के साथ			
2017 की दीवानी पुनरीक्षण सं. 26			
1.			पुल निर्माण निगम लिमिटेड।
2.		यता, '	बेहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, रोड डिवीजन, दरोगा
	राय पथ, पटना		
			याचिकाकर्ता/ओं
			बनाम
1.	मेसर्स विजय एसोसिए	ट्स, र	वत्वधारी विजय कुमार, पिता-श्री राम बहादुर महतो, निवासी-
	बसुही, डाकघर-चुरामना	पुर, ि	नेला-बेगुसराय
2.	बिहार राज्य, सचिव, सड़क निर्माण विभाग, 'विश्वेश्वरैया भवन' के माध्यम से,		
3.	3. मुख्य अभियंता, सड़क निर्माण विभाग, उत्तर बिहार क्षेत्र, दरभंगा		
4.	अधीक्षण अभियंता, सड़	इक नि	र्माण विभाग, दरभंगा अंचल
5.	कार्यकारी अभियंता, स	डक हि	ार्माण विभाग, सड़क प्रभाग, समस्तीपुर
			विपक्षी ⁄ गण
===	=======================================	====	
उपस्थिति :			
(2015 की दीवानी पुनरीक्षण सं. 69 में)			
याचिकाकर्ता/ओं के लिए :		:	श्री पी. के. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
			श्री गिरिजीश कुमार, अधिवक्ता
विरोधी पक्ष सं. 1 के लिए :		:	श्री लाल बाबू सिंह, अधिवक्ता
			श्री के. पी. गुप्ता, जी. पी10
			सुश्री दीपांजली गुप्ता, जी. पी10 के एसी
(2016 की दीवानी पुनरीक्षण सं. 215 में)			
	•		श्री पी. के. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
	• • •		श्री विकास कुमार, अधिवक्ता
विपक्ष	गिगण/ओं के लिए		श्री मनीष सहाय, अधिवक्ता।
(2017 की दीवानी पुनरीक्षण र			
	_		श्री पी. के. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री विकास कुमार, अधिवक्ता

विपक्षीगण/ओं के लिए : श्री मनीष सहाय, अधिवक्ता

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री खातिम रेज़ा

सीएवी आदेश

64 08-09-2025 <u>2015 की दीवानी पुनरीक्षण सं. 69 में 2024 की अं. आ. संख्या 02</u>

2016 की दीवानी पुनरीक्षण सं. 215 में 2024 की अं. आ. संख्या 04

2017 के दीवानी पुनरीक्षण संख्या 26 में 2024 की अं. आ. संख्या 04

ये अंतरिम आवेदन दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत इस न्यायालय द्वारा दीवानी पुनरीक्षण संख्या 69/2015 और इसके समरूप मामलों दीवानी पुनरीक्षण संख्या 215/2016 और दीवानी पुनरीक्षण संख्या 26/2017 में पारित दिनांक 23.07.2024 के आदेश की समीक्षा/वापस लेने के लिए दायर किए गए हैं, जिसके तहत संबंधित संदर्भ मामले में पंचाट पारित करने के लिए न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपित को टिकाऊ नहीं माना गया है।

- 2. याचिकाकर्ताओं के विरष्ठ अधिवक्ता श्री पी. के. शाही, राज्य के जी. पी.-10 श्री के. पी. गुप्ता के साथ-साथ निजी विरोधी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री लाल बाबू सिंह को सुना गया।
- 3. इन तीनों अंतर्वर्ती आवेदनों की सुनवाई दिनांक 23.07.2024 के आदेश की समीक्षा/वापस बुलाने के बिंदु पर की गई है।
- 4. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान विश्व अधिवक्ता दलील देते हैं कि बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण, पटना द्वारा संदर्भित वाद संख्या 58/2013 में पारित दिनांक 19.01.2015 के निर्णय के विरुद्ध दीवानी पुनरीक्षण आवेदन संख्या 69/2015,

संदर्भित वाद संख्या 95/2013 में पारित दिनांक 05.11.2015 के निर्णय के विरुद्ध सी.आर. आवेदन संख्या 215/2016 और संदर्भित वाद संख्या 47/2011 में पारित दिनांक 17.12.2015 के निर्णय के विरुद्ध सी.आर. आवेदन संख्या 26/2017 दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से (2018) 17 एससीसी 444 में प्रतिवेदित बिहार राज्य एवं अन्य बनाम ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर **लिमिटेड** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2018 को पारित निर्णय के आधार पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी। उपरोक्त मामलों में पंचाट सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले पारित किए गए थे। यह दलील दिया गया है कि जब इन दीवानी पुनरीक्षण आवेदनों पर स्नवाई की गई थी, तो याचिकाकर्ताओं द्वारा **ब्रह्मपूत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र की कमी के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी, जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2024 के आदेश के तहत उचित रूप से विचार नहीं किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है और केंद्रीय अधिनियम की प्रयोज्यता को निर्धारित करता है, वहां राज्य अधिनियम लागू नहीं होगा। उपरोक्त मामले में एस. बी. डी. का खंड 25, वर्तमान मामलों के समान, समझौते के तहत विवाद समाधान तंत्र था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे दलील देते हैं कि प्रारंभिक आपत्ति के समर्थन में, (1996) 2 एससीसी 215 (अजीत सिंह जन्जा बनाम पंजाब राज्य) में प्रतिवेदित कई निर्णयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य निर्णयों का हवाला दिया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी पूरी तरह से कानून का प्रश्न है और इसे किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में भी, यदि इसे कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में नहीं उठाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि अधिकारिता का सवाल किसी भी संपार्श्विक कार्यवाही में भी उठाया जा सकता है,

यानी निष्पादन के दौरान ही, क्योंकि मंच द्वारा पारित कोई भी आदेश/निर्णय/पंचाट, जिसमें अधिकारिता का अभाव है, कानून की नजर में अमान्य है। (2019) 17 एस. सी. सी. 82 में प्रतिवेदित **हिंद्स्तान जिंक लिमिटेड (एच. जेड. एल.) बनाम अजमेर विद्युत वितरण निगम** लिमिटेड के मामले पर भी भरोसा जताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां अधिकारिता की अंतर्निहित कमी है, वहां पारित किया गया पंचाट अमान्य है और ऐसी याचिका किसी भी स्तर पर और संपार्श्विक कार्यवाही में भी ली जा सकती है। यहां तक कि (*गैर-स्थायी*) मध्यस्थता में सहमति या भागीदारी भी इस तरह की याचिका पर रोक नहीं लगाएगी क्योंकि इस तरह का पंचाट अमान्य है। इस दलील के खिलाफ कोई रोक नहीं है कि अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी के कारण पंचाट/डिक्री अमान्य है। वरिष्ठ अधिवक्ता आगे दलील देते हैं कि अधिकार क्षेत्र की याचिका पहली बार याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई थी जब वर्तमान मामले की सुनवाई प्रारंभिक आपत्ति के बिंदू पर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने पहली बार इस मुद्दे को उठाया है क्योंकि ब्रह्मपुत्र मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दीवानी पुनरीक्षण आवेदन के लंबित रहने के दौरान आया था। इसलिए, यह याचिका उपरोक्त संदर्भ मामलों के लंबित होने के समय उपलब्ध नहीं थी।

5. इसके विपरीत, विरोधी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता दलील देते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनाया है और याचिकाकर्ताओं के आवेदन में दी गई समीक्षा के लिए आधार समीक्षा के लिए आधार नहीं हैं क्योंकि पुनर्विचार समीक्षा के लिए आधार नहीं है। इसके आगे तर्क दिया गया है कि आदेश की समीक्षा के सिद्धांतों के सारांश पर (2013) 8 एससीसी 320 में प्रतिवेदित कमलेश वर्मा बनाम मायावती एवं अन्य के मामले में विस्तार से चर्चा की गई है और कंडिका 20.2 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत निर्धारित

किया है कि समीक्षा कब स्वीकार्य नहीं होगी। कंडिका 20.2 के खंड (vi) में यह माना गया है कि "विषय पर दो दृष्टिकोणों की संभावना मात्र समीक्षा का आधार नहीं हो सकती"।

- 6. विपरीत पक्षों के विद्वान अधिवक्ता आगे दलील देते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदु के साथ-साथ व्रह्मपुत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (उपरोक्त) का फैसला पहले से ही दिनांकित 23.07.2024 के आक्षेपित आदेश द्वारा निपटा और जवाब दिया गया है। याचिकाकर्ता वर्तमान आवेदन में इस न्यायालय द्वारा 23.07.2024 को पारित आदेश को चुनौती देने का हकदार नहीं हैं। अधिकारिता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब कोई स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती हो या जब आक्षेपित आदेश में कोई गंभीर त्रृटि हो।
- 7. विरोधी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1452 में प्रतिवेदित जे. एम. सी. प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है जो वर्तमान मामले में 23.07.2024 को पारित आदेश में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। उक्त निर्णय ब्रह्मपुत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (उपरोक्त) मामले के बाद पारित किया गया है।
- 8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2018) 10 एस. सी. सी. 826 में प्रतिवेदित एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण बनाम एल. जी. चौधरी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के मामले को संदर्भित किया है और अभिनिर्धारित किया कि "हम राज्य अधिनियम की प्रयोज्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं जहां एक पंचाट पहले ही दिया जा चुका है। ऐसे मामलों में, यदि मध्यस्थता की अधिकारिता पर कोई आपित प्रासंगिक स्तर पर नहीं ली गई थी, तो पंचाट को केवल उसी आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 16 (2) के बारे में भी चर्चा की गई है और आगे कहा गया है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 16 (2) के संदर्भ में उत्तरदाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उचित स्तर पर

कोई आपित नहीं उठाई गई है, पंचाट को रद्द नहीं किया जा सकता था।" उपरोक्त तय किए गए सिद्धांत पर पहले ही दिनांकित 23.07.2024 के आदेश में चर्चा की जा चुकी है। इसिलए, दिनांकित 23.07.2024 का आदेश की समीक्षा के लिए वर्तमान आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

- 9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान विरिष्ठ अधिवक्ता और विरोधी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि ये समीक्षा/वापस बुलाने के आवेदन उन प्रारंभिक प्रश्नों को फिर से उत्तेजित करने और फिर से तर्क देने के लिए दायर किए गए हैं जिन्हें पहले ही संबोधित और तय किया जा चुका है। याचिकाकर्ताओं ने ब्रह्मपुत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (उपरोक्त) मामले और अन्य मामलों पर भरोसा किया है जिन पर पहले ही 23.07.2024 के आदेश में चर्चा और विचार किया जा चुका है, जो कि समीक्षाधीन है। ब्रह्मपुत्र मामले के फैसले के बाद, उसी लेखक ने मध्य प्रदेश रोड विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) में लिए गए विचार को दोहराया है। (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1452 में प्रतिवेदित जे. एम. सी. प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (उपरोक्त) जो 10.01.2020 पर निर्णय लिया गया है, के मामले को भी दिनांकित 23.07.2024 (समीक्षाधीन आदेश) में विचार किया गया।
- 10. "समीक्षा का दायरा सीमित है और समीक्षा की आड़ में, याचिकाकर्ता को उन प्रश्नों को फिर से उत्तेजित करने और फिर से बहस करने की अनुमित नहीं दी जा सकती है, जिन्हें पहले ही संबोधित किया और तय किया जा चुका है"। यह दृष्टिकोण शांति कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड बनाम असम राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य और (2020) 2 एस. सी. सी. 677 में प्रतिवेदित इसके समान मामले में लिया गया है।
- 11. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा के दायरे को दोहराया गया है। *(1997) 8 एस. सी. सी. 715* में प्रतिवेदित *पार्सन देवी बनाम सुमितरी देवी* में माननीय

सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "आदेश 47 नियम 1 दी.प्र.सं. के तहत, एक निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ समीक्षा के लिए खुला हो सकता है यदि रिकॉर्ड के सामने कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट है। एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, शायद ही अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि हो को कहा जा सकता है, जो न्यायालय को आदेश 47 नियम 1 दी.प्र.सं. के तहत अपनी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है। आदेश 47 नियम 1 दी.प्र.सं. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी गलत निर्णय को "फिर से सुनने और सुधारने" की अनुमित नहीं है। एक समीक्षा याचिका, यह याद रखना चाहिए कि इसका एक सीमित उद्देश्य है और इसे "भेष बदलकर अपील" करने की अनुमित नहीं दी जा सकती है"।"

- 12. (2013) 8 एस. सी. सी. 337 में प्रतिवेदित भारत संघ बनाम संदूर भैगनीज और आयरन ऑरेस लिमिटेड के मामलें में कुछ आधारों का उल्लेख और वर्णन किया गया है कि कब समीक्षा स्वीकार्य नहीं होगी, कमलेश वर्मा (उपरोक्त) में कंडिका 20.2. (i) से (ix) में संदर्भित किया गया है।
- 13. उपर्युक्त निर्णय का अध्ययन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि इस मामले में पुनर्विचार हेतु उठाया गया प्रश्न इन निर्णयों के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये निर्णय केवल बहुत सीमित परिस्थितियों में ही पुनर्विचार की अनुमित देते हैं, जैसे कि अभिलेख पर स्पष्ट वृटि। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि मामले को पुनः खोला और पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत निर्णयों पर पहले ही पुनर्विचाराधीन आदेश में विचार किया जा चुका है, और उन्हें पुनः प्रस्तुत करने की अनुमित नहीं दी जा सकती। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा जिस आदेश की समीक्षा की मांग की गई है, वह कानूनन अस्वीकार्य है।

14. तदनुसार, 2015 की दीवानी पुनरीक्षण संख्या 69 में 2024 की अं. आ. संख्या 02, 2016 की दीवानी पुनरीक्षण संख्या 215 में 2024 की अं. आ. संख्या 04 और 2017 की दीवानी पुनरीक्षण संख्या 26 में 2024 की अं. आ. संख्या 04 को खारिज किया जाता है।

(खातिम रेज़ा, न्यायमूर्ति)

प्रभात/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।